**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।**

उपस्थितः **जितेन्द्र कुमार सिन्हा, उच्चतर न्यायिक सेवा**

J.O. Code – UP6515

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–6968/2022

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–10304/2022

(CNR No: UPGZ010205372022)

लोकेश गुप्ता पुत्र श्री उमेश चन्द्र गुप्ता निवासी–273, बरनी कम्पाउंड देवीपुरा–2, बुलंदशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–197/2022

धारा–420,406,467,468,471,411,120B भा०द०सं०

थाना–मसूरी जिला गाजियाबाद।

.....

**18.11.2022**

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त लोकेश गुप्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–197/2022 धारा–420,406,467,468,471,411,120B भा० द०सं० थाना–मसूरी जिला गाजियाबाद के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की पैरोकार शिपाली की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 27–03–2022 को वादी विकेस कुमार मैनेजर द्वारा थाने पर लोकेश गुप्ता उर्फ पंकज सैनी के विरूद्ध इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि अभियुक्त लोकेश गुप्ता द्वारा अपना नाम पंकज सैनी बताकर कूटरचित दस्तमावेज तैयार कर आवेदक के बैंक से ब्रिजा कार नं०–यू०पी० 14 ई०वी० 2975 पर 9,30,000/–रू० का धोखाधड़ी व बेईमानी से ऋण प्राप्त कर लिया तथा ऋण की किश्तों की अदायगी रोककर अमानत में ख्यानत की गयी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस केस में झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है। अभियुक्त द्वारा किसी भी षडयंत्र में शामिल होकर कोई धोखाधड़ी किसी प्रकार की नहीं की गयी है और न ही कोई फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और न ही उनका कोई दुरूपयोग किया गया है और न ही कोई बरामद हुई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जो कार व कार के सम्बंध में लोन की धोखाधड़ी सम्बंधी तथ्य वर्णित किए गए हैं, वह भी किसी पंकज सैनी के नाम से है व आरटीओ में भी उक्त कार किसी पंकज सैनी के नाम से ही रजिस्टर्ड है व उक्त पंकज सैनी ही कार का रजिस्टर्ड मालिक है और लोन कर्जदाता है, जिसका अभियुक्त से कोई वास्ता नहीं है। अभियुक्त द्वारा कोई भी फर्जी कागजात कार खरीदने और कार लोन स्वीकृत कराने हेतु किसी बैंक और कार डीलर को नहीं दिए गए हैं। अभियुक्त को अकारण ही उक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01–10–2022 से कारागार में निरूद्ध है।उपरोक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी

तरीके से कार लोन स्वीकृत कराकर बैंक से 9,30,000/– रू० लेकर ब्रिजा कार पर लोन कराकर खरीदी गयी तथा बाद में किश्तों का भुगतान नहीं किया गया। जमानत का कोई आधार नहींहै।

आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारीके तर्क सुने गए तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक में खाता खुलवाकर फर्जी तरीके से कार लोन स्वीकृत कराकर बैंक से 9,30,000/– रू० लेकर ब्रिजा कार पर लोन कराकर खरीदी गयी तथा बाद में किश्तों का भुगतान नहीं किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी जो कार व कार के सम्बंध में लोन की धोखाधड़ी सम्बंधी तथ्य वर्णित किए गए हैं, वह किसी पंकज सैनी के नाम से है व आरटीओ में भी उक्त कार किसी पंकज सैनी के नाम से ही रजिस्टर्ड है व उक्त पंकज सैनी ही कार का रजिस्टर्ड मालिक है और लोन कर्जदाता है, जिसका अभियुक्त से कोई वास्ता नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01–10–2022 से अभिरक्षा में है तथा मामले में आरोप पत्र सम्बंधित न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं बिना गुणदोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त लोकेश गुप्ता का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन दाखिल करने पर जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

**(जितेन्द्र कुमार सिन्हा)**
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 18.11.2022